

संख्या
दिनांक

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/इंचार्ज
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त महाविद्यालय (लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली)
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल0वि0।
4. वित्त अधिकारी, ल0वि0।
5. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0।
6. कुलानुशासक, ल0वि0।
7. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल0वि0।
8. समस्त उपकुलसचिव, ल0वि0।

लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषय:-कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चारपहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक संलग्न मुख्य सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-06/2025/364/तीस-3-2025, दिनांक 11 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति, मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक 05 फरवरी, 2025 को लखनऊ में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक में दिये गये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं अनुपालन रिपोर्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि शासन के संलग्न पत्र में दिये गये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं अनुपालन रिपोर्ट से कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त से परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
कुलसचिव

संख्या- 6A-3095-99

दिनांक- 15/02/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, कुलपति मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रतिकुलपति, प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, ल0वि0।
4. इंचार्ज वेबसाइट को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महाविद्यालयों के लिंक पर अपलोड करने तथा समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करे।
5. मुख्य सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-06/2025/364/तीस-3-2025, दिनांक 11 फरवरी, 2025 के क्रम में सूचनार्थ
6. कार्यालय प्रति।

15/2/2025
कुलसचिव